

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
	. भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	0	8,70,00,00,000	8,70,00,00,000
01	सामान्य प्रशासन राजस्व	24,96,95,000	83,00,000	25,79,95,000
03	पुलिस राजस्व	6,00,100	0	6,00,100
	पूंजी	5,60,00,00,000	0	5,60,00,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	17,78,99,17,328	1,21,25,000	17,80,20,42,328
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	8,30,00,200	0	8,30,00,200
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व	4,30,00,000	0	4,30,00,000
10	वन राजस्व	12,20,00,000	2,73,861	12,22,73,861
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	2,14,00,00,000	0	2,14,00,00,000
	पूंजी	3,06,27,00,300	0	3,06,27,00,300
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	16,38,73,69,500	0	16,38,73,69,500
	पूंजी	100	0	100
13	कृषि राजस्व	10,00,00,00,200	0	10,00,00,00,200
	पूंजी	3,76,00,000	0	3,76,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	22,15,00,100	41,00,000	22,56,00,100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व	2,95,80,000	0	2,95,80,000
17	सहकारिता पूंजी	17,00,000	0	17,00,000
18	श्रम पूंजी	30,00,000	0	30,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व	9,07,47,32,000	89,27,663	9,08,36,59,663
	पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व	0	17,27,595	17,27,595
	पूंजी	10,96,01,000	0	10,96,01,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय पूंजी	17,93,12,50,400	0	17,93,12,50,400
23	जल संसाधन विभाग पूंजी	65,20,00,100	0	65,20,00,100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल राजस्व	300	0	300
	पूंजी	11,00,00,00,600	0	11,00,00,00,600
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय पूंजी	46,00,000	0	46,00,000
27	स्कूल शिक्षा राजस्व	41,24,34,000	15,60,00,000	56,84,34,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन राजस्व	0	25,00,00,000	25,00,00,000
	पूंजी	12,00,000	0	12,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	200	0	200
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	100	0	100
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय राजस्व	15,00,00,000	0	15,00,00,000
33	आदिम जाति कल्याण पूंजी	3,00,00,000	0	3,00,00,000
34	समाज कल्याण पूंजी	1,84,00,000	0	1,84,00,000
36	परिवहन राजस्व	30,00,00,000	0	30,00,00,000

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
	पूँजी	5,52,00,000	0	5,52,00,000
37 पर्यटन	राजस्व	100	0	100
39 खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	17,54,98,50,000	0	17,54,98,50,000
	पूँजी	70,00,000	0	70,00,000
41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	47,73,79,06,596	0	47,73,79,06,596
	पूँजी	42,95,00,500	0	42,95,00,500
42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूँजी	9,20,00,01,000	0	9,20,00,01,000
44 उच्च शिक्षा	राजस्व	100	0	100
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजी	1,40,00,00,000	0	1,40,00,00,000
47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	2,35,84,800	0	2,35,84,800
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	पूँजी	68,00,000	0	68,00,000
56 ग्रामोद्योग	राजस्व	17,50,000	0	17,50,000
	पूँजी	56,00,000	0	56,00,000
64 अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	13,39,47,14,180	0	13,39,47,14,180
	पूँजी	2,46,15,00,000	0	2,46,15,00,000
65 विमानन विभाग	पूँजी	6,50,00,000	0	6,50,00,000
67 लोक निर्माण कार्य - भवन	पूँजी	100	0	100
71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	100	0	100
75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूँजी	100	0	100
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
	पूँजी	200	0	200
80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	18,18,29,000	0	18,18,29,000
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूँजी	31,00,00,000	0	31,00,00,000
82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	9,36,70,000	0	9,36,70,000
योग	राजस्व	1,35,98,71,34,004	9,14,14,54,119	1,45,12,85,88,123
	पूँजी	52,49,26,54,400	0	52,49,26,54,400
वृहद योग		1,88,47,97,88,404	9,14,14,54,119	1,97,62,12,42,523